



संख्या-13525-नि०(मा०सं०)/उपाकालि/ए०सी०पी०

दिनांक - 26/11/16

कार्यालय ज्ञापन

प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक-693/1(2)/2016-06(2)-2/2015 दिनांक 03.06.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-75.31 में निदेशक मण्डल द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुपालन में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं० 6303/नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान दिनांक 15-07-2013 के प्रस्तर-2(ख)(11) में ए०सी०पी० की व्यवस्था में नॉन फन्क्शनल वेतनमान को समाप्त (Ignore) किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। (प्रत्येक संवर्ग में नॉन फन्क्शनल ग्रेड वेतन समाप्त किये जाने सम्बन्धी निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित तालिका संलग्न है)

इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्येक संवर्ग में नॉन फन्क्शनल ग्रेड वेतन समाप्त किये जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली निम्न विषमताओं का निराकरण किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया:-

- 1- कारपोरेशन में लिपिक संवर्ग में कार्यालय सहायक-तृतीय से कार्यालय-द्वितीय के पद पर पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड वेतन अपरिवर्तित अर्थात् ₹0 2600 ही रहता है जबकि पदोन्नति न होने पर प्रथम ए०सी०पी० के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 3000 देय होगा। इसी प्रकार कार्यालय सहायक-द्वितीय से कार्यालय सहायक-प्रथम/कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय के पद पर पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड वेतन ₹0 3000 रहता है जबकि पदोन्नति न होने पर द्वितीय ए०सी०पी० के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 4200 देय होगा। इसी प्रकार कार्यालय सहायक-प्रथम/कार्यालय अधीक्षक-द्वितीय से कार्यालय अधीक्षक-प्रथम के पद पर पदोन्नति के उपरान्त ग्रेड वेतन ₹0 4200 रहता है जबकि पदोन्नति न होने पर तृतीय ए०सी०पी० के रूप में ग्रेड वेतन ₹0 5400 देय होगा।

यदि समान ग्रेड वेतन के पद पर पदोन्नति होती है तो कार्मिक की प्रथम ए०सी०पी० समाप्त न समझी जाएगी अपितु पूर्व पद से ही 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पश्चात् उस प्रथम ए०सी०पी० का लाभ अनुमन्य किया जाएगा इसी प्रकार समान ग्रेड वेतन में द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति होने के पश्चात् पूर्व पद से ही 05-05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्मिक को द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी० का लाभ उपरोक्तानुसार अनुमन्य किया जाएगा जिससे उक्त विषमता समाप्त हो जायेगी।

- 3- कारपोरेशन की कार्यआवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निगम में सीधी भर्ती के इतर पदों (जैसे वरिष्ठ विधि अधिकारी/उपमहाप्रबन्धक/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी) पर नियुक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में, पूर्ववर्ती उपप्राज्य विद्युत परिषद द्वारा पूर्व में समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में यथासमय प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप ए०सी०पी० अनुमन्य किए जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

अतः निदेशक मण्डल द्वारा पारित उपरोक्त व्यवस्था को ए०सी०पी० की व्यवस्था में लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रंति होने की स्थिति में उसका निराकरण किये जाने के पश्चात् ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कारपोरेशन आदेश सं० 6303/नि०(मा०सं०)/उपाकालि/समयबद्ध वेतनमान दिनांक 15-07-2013 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।
संलग्नक-- (अनुलग्नक-1)

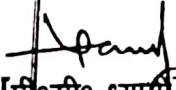
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

कमरा.....

संख्या : 13525-नि0(मा0सं0)/उपाकालि/ए0सी0पी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव(ऊर्जा)एवं अध्यक्ष, उपाकालि, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
- 2- सीनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून को प्रबन्ध महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 3- निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 4- कम्पनी सचिव व महाप्रबन्धक (विधिक), उपाकालि, वि0 क्रा0 वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2), उपाकालि,।
- 6- समस्त महाप्रबन्धक(वित्त) उपाकालि, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0,।
- 8- उपमहाप्रबन्धक(औ0सं.एवंका0प्र0), उपाकालि, विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 9- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0,।
- 10-अधिशासी अभियन्ता(मा0सं0)/लोक सूचनाधिकारी(मा0सं0),उपाकालि,वि0क्रा0वि0ग0 सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 11-अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 12-कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल।


[पी0सी0 ध्यामी]
निदेशक(मा0सं0)